अनुदान संख्या 104 – जल संसाधन मंत्रालय
GRANT No. 104–MINISTRY OF WATER RESOURCES

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	793,38,00		798,38,00	618,79,21	–179,58,79
पूरक	Supplementary	5,00,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					161,94,27
पूंजीगत:	**Capital:**					
प्रभारित-	*Charged–*					
मूल	*Original*	*3,50,00*		*3,75,00*	*2,18,22*	*–1,56,78*
पूरक	*Supplementary*	*25,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	57,48,00		63,98,00	56,26,00	–7,72,00
पूरक	Supplementary	6,50,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					4,01,09

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचत (17958.79 लाख रु.) दिसंबर, 2004 में प्राप्त किए गए 500.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गई और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 22 प्रतिशत थी।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.17958.79 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.500.00 lakhs obtained in December, 2004 and constituted 22 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	9500.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–9500.00			
मुख्य शीर्ष "2701" मुख्य तथा मध्यम सिंचाई	Major Head "2701" Major and Medium Irrigation				
मू.	O.	18302.00	17146.17	16642.89	–503.28
पु.	R.	–1155.83			
मुख्य शीर्ष "2702" लघु सिंचाई	Major Head "2702" Minor Irrigation				
मू.	O.	11432.00	11721.04	11584.40	–136.64
पु.	R.	289.04			
मुख्य शीर्ष "2705" कमान क्षेत्र विकास	Major Head "2705" Command Area Development				
मू.	O.	450.00	279.93	126.04	–153.89
पु.	R.	–170.07			
मुख्य शीर्ष "2711" बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	Major Head "2711" Flood Control and Drainage				
मू.	O.	5548.00	8052.35	7681.95	–370.40
पु.	R.	2504.35			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	29850.00			
पू.	S.	500.00	22525.54	22104.95	–420.59
पु.	R.	–7824.46			
मुख्य शीर्ष ''3602'' संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	355.00			
			102.12	102.12	. .
पु.	R.	–252.88			

(I) 16668.00 लाख रु. का प्रावधान बारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 16405.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान'' - 9500.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आंशिक उपयोग संबंधित कार्यात्मक शीर्षों से किए जाने और शेष राशि व्यपगत न होने वाले पूल को अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2705'' - ''अन्य व्यय - प्रशिक्षण पाठ्यक्रम'' - 105.00 लाख रु. जल और विद्युत परामर्शदात्री सेवाएं (भारत) लिमिटेड और अन्य अनुसंधान संस्थानों को कम अध्ययन कार्य सौंपे जाने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3601'' -

(क) ''योजनेत्तर अनुदान - मुख्य सिंचाई (गैर-वाणिज्यिक) सतलुज यमुना संपर्क नहर परियोजना - सतलुज

(I) Provision of Rs.16668.00 lakhs remained wholly unutilised under twelve heads; of these Rs.16405.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" - "Other Expenditure–Provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region & Sikkim" – Rs.9500.00 lakhs - due to utilisation of part funds by re-appropriation for meeting expenditure on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim from the concerned functional heads and surrender of balance amount to the non-lapsable Pool.

(B) Major Head "2705" – "Other Expenditure-Training Courses" - Rs.105.00 lakhs - due to less studies awarded to Water and Power Consultancy Services (India) Ltd. and other research institutes.

(C) Major Head "3601" –

(a) "Non - Plan Grants- Major Irrigation (Non-Commercial) Sutlej Yamuna Link Canal

यमुना संपर्क नहर परियोजना''- 2500.00 लाख रु. पंजाब सरकार समापन अधिनियम, 2004 से संबंधित राष्ट्रपति के संदर्भ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय लंबित रहने की वजह से निधियां जारी न किए जाने के कारण थे।

(ख) ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - बाढ़ नियंत्रण - अन्य अनुदान - लालबकेया, कमला, बागमती और खंडो नदियों पर तटबंधों का विस्तार''- 300.00 लाख रु. स्कीम के संशोधन की वजह से बिहार की सरकार से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(ग) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - भू जल - अन्य अनुदान - भूजल का कृत्रिम रूप से पुनर्भरण''- 3800.00 लाख रु.; और

(घा) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - भू जल - अन्य अनुदान- भू जल का कृत्रिम रूप से पुनर्भरण''- 200.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2701'' - ''सामान्य'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''अनुसंधान - अनुसंधान और विकास कार्यक्रम''- 191.20 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संगठन द्वारा अध्ययन पूरा न किए जाने और सादगी के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''सर्वेक्षण और अन्वेषण - राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण''- 1400.00 लाख रु. की बचत (3500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य शुरू न किए जाने और साथ ही कार्य दल का समापन किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''अन्य व्यय''-

(क) ''भारत में बांध सुरक्षा और पुनर्वास के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग में सुविधाओं और कौशल का

Project - Sutlej Yamuna Link Canal Project" - Rs.2500.00 lakhs - due to non-release of funds pending decision of the Hon'ble Supreme Court in the matter of Presidential Reference on Punjab Termination of Agreements Act, 2004.

(b) "Grants for Central Plan Schemes - Flood Control – Other Grants - Extension of embankments on Lalbakeya, Kamla, Bagmati and Khando Rivers" - Rs.300.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from Government of Bihar owing to revision of the scheme.

(c) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Ground Water – Other Grants-Artificial Recharge of Ground Water" - Rs.3800.00 lakhs; and

(D) Major Head "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Ground Water – Other Grants – Artificial Recharge of Ground Water" – Rs.200.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-approval of the scheme.

(II) Under Major Head "2701" - "General" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Research - Research and Development Programmes" – saving of Rs.191.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to non-completion of study by the organisation and austerity measures.

(B) "Survey and Investigation – National Water Development Agency" - saving of Rs.1400.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3500.00 lakhs) was due to non-undertaking of the work of detailed project report and also on account of closure of task force.

(C) "Other Expenditure" -

(a) "Upgradation of facilities and skills in Central Water Commission regarding dam

उन्नयन''- 156.87 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय उष्णकटिबंधीय प्रबंधन संस्थान, पुणे द्वारा प्रोजेक्ट मीन प्रिसिपिटेशन एटलस धीमे रूप से तैयार किए जाने और साथ ही महानदी घाटी के लिए डिजीटल टरेन माडल का विकास किए जाने संबंधी परामर्शी कार्य को छोड़ दिए जाने के कारण हुई।

(ख) ''कम्प्यूटरीकरण/सूचना प्रणाली का उन्नयन और आधुनिकीकरण''- 176.44 लाख रु. की बचत (320.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क और बेतार तद्रूपता संयोजकता की स्थापना को आस्थगित किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''जलाशय अवसादन, नदी आकारिकी और अन्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग संबंधी अध्ययन''- 217.58 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तकनीकी कारणों से छह जलाशयों के लिए जलसर्वेक्षण संबंधी अध्ययन शुरू न किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2711'' - ''बाढ़ नियंत्रण - अन्य व्यय - कोसी उच्च बांध का सर्वेक्षण और अन्वेषण'' के अंतर्गत 370.71 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रावधान में कमी कर दिए जाने के कारण हुई क्योंकि संयुक्त कार्यलय - सप्त कोसी सन कोसी अन्वेषण नेपाल में अगस्त, 2004 में स्थापित किया गया था।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3601'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - बाढ़ नियंत्रण - अन्य अनुदान - कोसी और गंडक परियोजनाओं के लिए बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्यों का अनुरक्षण''- 253.86 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष के दौरान जल गुणवत्ता निर्धारण प्राधिकरण के अंतर्गत निधीयन की जाने वाली अनुसंधान और विकास स्कीम के उपलब्ध न होने की वजह से निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान''-

safety and rehabilitation in India"– saving of Rs. 156.87 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 200.00 lakhs) was due to slow preparation of Project Mean Precipitation Atlas by the Indian Institute of Tropical Management, Pune and also on account of dropping of consultancy work for development of Digital Terrain Model for Mahandi basin.

(b) "Upgradation and Modernisation of Computerisation/Information System" – saving of Rs.176.44 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.320.00 lakhs) was due to deferment of establishment of Wide Area Network and Wireless fidelity connectivity.

(c) "Studies on Reservoir Sedimentation, River Morphology and other Remote Sensing Applications" - saving of Rs.217.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to non-taking up of the Hydrographic survey for six reservoirs owing to technical reasons.

(III) Under Major Head "2711" – "Flood Control – Other Expenditure - Survey and Investigation of Kosi High Dam" – saving of Rs.370.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to scaling down of provision as the Joint Office – Sapta Kosi Sun Kosi Investigation was established in Nepal in August, 2004.

(IV) Under Major Head "3601"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Grants for Central Plan Schemes – Flood Control – Other Grants - Maintenance of Flood Protection works of Kosi & Gandak Projects" – saving of Rs.253.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds owing to non-availability of Research and Development Scheme to be funded under Water Quality Assessment Authority during the year.

(B) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" –

(क) ''भूतल जल - अन्य अनुदान - लघु सिंचाई सांख्यिकी का यौक्तिकीकरण''- 331.77 लाख रु. की बचत (650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण पत्रों के प्राप्त न होने और साथ ही राज्य सरकारों के पास अव्ययित शेषों के उपलबध रहने के कारण हुई।

(ख) ''कमान क्षेत्र विकास - अन्य अनुदान - कमान क्षेत्र विकास''- 3549.42 लाख रु. की बचत(17700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा समतुल्य निधियों के आवंटन में समग्र रूप से कमी कर दिए जाने के कारण हुई।

(ग) ''बाढ़ नियंत्रण - अन्य अनुदान''-

(i) ''गंगा घाटी के तटवर्ती और उससे भिन्न राज्यों में संकटकालीन अपरदनरोधी निर्माण कार्य''- 160.00 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ii) ''देश के नाजुक स्थिति वाले क्षेत्रों में जल निकासी का सुधार''- 450.00 लाख रु. की बचत (1400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कर्नाटक, केरल और उड़ीसा की राज्य सरकारों से अतिरिक्त निधीयन के लिए अनुरोध प्राप्त न होने और पिछले वर्ष जारी की गई राशियों के उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने की वजह से आवंटन में कमी कर दिए जाने के कारण हुईं।

(V) उपुर्यक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत 709.59 लाख रु. की बचतें हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 93 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (2500.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - बाढ़ नियंत्रण - अन्य अनुदान - गंगा घाटी के राज्यों में संकटकालीन अपरदनरोधी निर्माण कार्य'' के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध- II द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(a) "Surface Water – Other Grants - Rationalisation of Minor Irrigation Statistics" – saving of Rs.331.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.650.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates from State Governments and also availability of unspent balances with State Governments.

(b) "Command Area Development - Other Grants - Command Area Development"- saving of Rs.3549.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.17700.00 lakhs) was due to overall reduction in allocation of matching funds by State Governments.

(c) "Flood Control – Other Grants" -

(i) "Critical Anti-erosion Works in Coastal and other than Ganga Basin States"- saving of Rs.160.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs); and

(ii) "Improvement of drainage in critical areas of the country" – saving of Rs.450.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1400.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to reduction in allocation owing to non – receipt of request for additional funding and non-receipt of utilisation certificate of releases of previous year from the State Governments of Karnataka, Kerala and Orissa.

(V) Under nine heads savings of Rs.709.59 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 13 percent to 93 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.2500.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament vide Annexure – II to Supplementary Demands for Grants under Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Flood Control – Other Grants – Critical Anti – erosion Works in Ganga Basin States".

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2701'' - ''सामान्य''- अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

(क) ''आंकड़ा संग्रहण - केंद्रीय जल आयोग''- 498.12 लाख रु. का अधिक व्यय (4558.91 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम के लंबित मामलों को अंतिम रूप दिए जाने, महंगाई भत्ते का विलयन किए जाने और ड्राइवर के वेतन की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(ख) ''अनुसंधान - केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र''- 202.93 लाख रु. का अधिक व्यय (2321.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधन की तुलना में) आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम के लंबित मामलों को अंतिम रूप दिए जाने, चिकित्सा दावे में वृद्धि होने और अधिप्राप्ति की अतिरिक्त मांग किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2702'' - ''भू जल - अन्वेषण - केंद्रीय भू जल बोर्ड''- 322.30 लाख रु. का अधिक व्यय (4817.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नियमित/कार्य प्रभारित कर्मचारियों के आश्वासित कैरियर प्रोन्नति संबंधी लंबित मामलों को अंतिम रूप दिए जाने और महंगाई भत्ते में वृद्धि किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष ''2711'' - ''बाढ़ नियंत्रण - अन्य व्यय''- अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

(क) ''केन्द्रीय जल आयोग''- 280.87 लाख रु. का अधिक व्यय (2921.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आश्वासित कैरियर प्रोन्नति के लंबित मामलों को अंतिम रूप दिए जाने, वेतन, विलयन और महंगाई भत्ते में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(ख) ''ब्रह्मपुत्र बोर्ड''- 1632.98 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ग) ''हैरेंज जल निकासी स्कीम''- 444.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(घ) ''असम में मजूली द्वीप के लिए नई स्कीमें, दिहांग परियोजना आदि''- 392.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2701" - "General" – excess occurred under the following heads:-

(a) "Data Collection – Central Water Commission" – excess of Rs.498.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4558.91 lakhs) was due to finalisation of pending Assured Career Progression cases, merger of Dearness Allowance and Salary payment of Driver.

(b) "Research – Central Water and Power Research Station" – excess of Rs.202.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2321.00 lakhs) was due to finalisation of pending Assured Career progression cases, increase in Medical Claim and additional demand of procurement.

(B) Major Head "2702" – "Ground Water – Investigation – Central Ground Water Board" - excess of Rs.322.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4817.00 lakhs) was due to finalisation of pending Assured Career Progression cases of regular/work charged staff and increase in Dearness Allowance.

(C) Major Head "2711" – "Flood Control – Other Expenditure" - excess occurred under the following heads:-

(a) "Central Water Commission" - excess of Rs.280.87 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2921.00 lakhs) was due to finalisation of pending Assured Career Progression cases, salary, merger and increase in Dearness Allowance.

(b) "Brahmaputra Board" - excess of Rs.1632.98 lakhs (against nil provision);

(c) "Harrange Drainage Scheme" – excess of Rs.444.00 lakhs (against nil provision); and

(d) "New Schemes for Majuli Island in Assam, Dibang Project etc." - excess of Rs.392.00 lakhs (against nil provision).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर व्यय को पूरा करने के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for meeting the expenditure on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region.

(घा) मुख्य शीर्ष "3601" - "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - भूतल - अन्य अनुदान - जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार" - 700.00 लाख रु. का अधिक व्यय (500.00 लाख रु. के पूरक अनुदान की तुलना में) प्रायोगिक स्कीम के रूप में योजना आयोग द्वारा पहले अनुमोदित की गई स्कीम को हाल में अनुमोदित स्कीम के अंतर्गत चयन समिति द्वारा नौ राज्यों में 16 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान किए जाने के कारण हुआ।

(D) Major Head "3601" - "Grants for State Plan Schemes - Surface Water – Other Grants - Repair, Renovation and Restoration of Water Bodies" - excess of Rs.700.00 lakhs (against the supplementary provision of Rs.500.00 lakhs) was due to clearance of 16 projects in nine states by selection committee under the scheme approved lately which was earlier approved by Planning Commission as a pilot scheme.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 100.00 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जिसे निधियों के पुनर्विनियोग द्वारा पूरा किया गया था।

(III) Under one head excess of Rs.100.00 lakhs occurred which was met by re-appropriation of funds.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें *(156.78 लाख रु.)* दिसंबर, 2004 में प्राप्त किए गए *25.00 लाख* रु. के पूरक *विनियोग* से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत *विनियोग* का 42 प्रतिशत थीं।

3. In the *charged* portion of the capital section of the grant, the overall savings *(Rs.156.78 lakhs)* exceeded the supplementary *appropriation* of *Rs.25.00 lakhs* obtained in December, 2004 and constituted 42 percent of the total sanctioned *appropriation.*

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "5075" अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5075" Capital Outlay on Other Transport Services				
मू.	*O.*	*50.00*	*75.00*	*68.22*	*–6.78*
पू.	*S.*	*25.00*			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "7601" *राज्य सरकारों को कर्ज तथा अग्रिम*	Major Head "7601" *Loan and Advances to State Governments*		*300.00*	*150.00*	*-150.00*

(I) मुख्य शीर्ष "5075" - "नदी प्रशिक्षण निर्माण कार्य - फरक्का परियोजनाएं - फरक्का बांध" के अंतर्गत *50.00 लाख* रु. के मूल *विनियोग* को *25.00 लाख* रु. का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *75.00 लाख* रु. कर दिया गया। तथापि, *6.78 लाख* रु. की बचत (पूरक *विनियोग* सहित) भंडार मदों की खरीद न किए जाने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "5075" – "River Training Works – Farakka Projects – Farakka Barrage" – the original *appropriation* of *Rs.50.00 lakhs* was augmented to *Rs.75.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *Rs.25.00 lakhs*. However, there was a saving of *Rs.6.78 lakhs* (including supplementary *appropriation*) due to non-purchase of stock items.

(II) मुख्य शीर्ष "7601" - *"योजनेत्तर स्कीमों के लिए कर्ज - बाढ़ नियंत्रण - अन्य कर्ज - पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में आकस्मिक बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए विशेष कर्ज सहायता"* के अंतर्गत *150.00 लाख* रु. की बचत (*300.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) पंजाब सरकार से प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "7601" – *"Loans for Non-Plan Schemes – Flood Control – Other Loans – Special Loan assistance for emergent flood protection works in the Eastern and Western Sectors"* - saving of *Rs.150.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.300.00 lakhs*) was due to non-receipt of re-imbursement proposal from Punjab Government.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचत (772.00 लाख रु.) मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 650.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गई और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत थी।

4. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (Rs.772.00 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.650.00 lakhs obtained in March, 2005 and constituted 12 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

मुख्य शीर्ष "4702" लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4702" Capital Outlay on Minor Irrigation				
मू.	O.	500.00	405.00	301.89	–103.11
पु.	R.	–95.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5075" अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5075" Capital Outlay on Other Transport Services				
मू.	O.	3050.00			
पू.	S.	650.00	3299.51	3104.47	–195.04
पु.	R.	–400.49			

(I) मुख्य शीर्ष "5075" - "अन्य - अन्य व्यय - अपरदनरोधी निर्माण कार्य" के अंतर्गत 600.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 650.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1250.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने में विलंब होने की वजह से फरक्का बांध परियोजन विस्तारित अधिकार क्षेत्र में कार्य शुरू न किए जाने के कारण 435.89 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under Major Head "5075" – "Others – Other Expenditure – Anti-erosion Works" – the original provision of Rs.600.00 lakhs was augmented to Rs.1250.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.650.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.435.89 lakhs – due to non-starting up of work in extended jurisdiction of Farakka Barrage Project owing to delay in issuance of No Objection Certificate from State Government of West Bengal.

(II) मुख्य शीर्ष "4702" - "भू जल - केंद्रीय भू जल बोर्ड"- 198.11 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थायी वित्त समिति द्वारा स्कीमों को अनुमोदन प्रदान किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4702" – "Ground Water - Central Ground Water Board" – saving of Rs.198.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to delay in approval of schemes by Standing Finance Committee.

(III) मुख्य शीर्ष "5075" - "नदी प्रशिक्षण निर्माण कार्य - फरक्का परियोजनाएं - फरक्का बांध" के अंतर्गत 159.64 लाख रु. की बचत (2450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उचंत के अंतर्गत लेखाबद्ध की जाने वाली भंडार की मदों की खरीद न किए जाने के कारण हुई क्योंकि पिछले वर्ष के दौरान खरीदी गई भंडार की मदें निर्माण कार्यों के अंतर्गत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त थीं।

(III) Under Major Head "5075" – "River Training Works - Farakka Projects - Farakka Barrage"- saving of Rs.159.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2450.00 lakhs) was due to non - purchase of stock items to be booked under suspense as stock items purchased during previous year were sufficient to meet requirements under works.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 50.37 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 50 प्रतिशत थी।

(IV) Under one head saving of Rs.50.37 lakhs occurred constituting 50 percent of the sanctioned provision.

5. उपर्युक्त बचतें एक शीर्ष के अंतर्गत 72.62 लाख रु. के अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं और यह स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत थीं।

5. The above savings were partly offset by an excess of Rs.72.62 lakhs under one head constituting 15 percent of the sanctioned provision.